

प्रेषक,

लक्ष्मण सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक: 11 नवम्बर, 2021

विषय: उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति, 2021 के अन्तर्गत क्षेत्रों के चिन्हिकरण की सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या-1873/VII-A-1/2021-05(28)/2021, दिनांक 10.11.2021 द्वारा उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति, 2021 प्रख्यापित की गयी है, जिसमें उक्त नीति के बिन्दु संख्या-5 (क) के प्रावधानानुसार ड्रेजिंग कार्य की समय-सीमा दिनांक 15 नवम्बर निर्धारित है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति, 2021 के बिन्दु संख्या-5 (क) के प्रावधानानुसार अपने-अपने जनपदों में पूर्व से चिन्हित रिवर ट्रेनिंग क्षेत्रों की स्पष्ट सूचना/विवरण एवं नये क्षेत्रों को ड्रेजिंग कार्य हेतु चिन्हित करते हुए सूचना/विवरण तत्काल महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि संगत नीति में प्रावधानित समयावधि के अन्तर्गत लॉटों के विज्ञापन की कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 1746 /VII-A-1/2021-05 (28)/2021, तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- समस्त जिला खान अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत प्रकरण में अपने-अपने जनपदों के जिलाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर रिवर ड्रेजिंग क्षेत्रों के चिन्हिकरण की वांछित सूचना महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।